आदेश

विषय :– **पुलिस मुख्यालय को संगठित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का संकल्प पत्र संख्या– 1/सी01 –13/2019 गृ0आ0 10087/पटना दिनांक 25/11/2019 –

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का संकल्प पत्र संख्या–1/सी01 –13/2019 गृ0आ0 10087/पटना, दिनांक 25/11/2019 द्वारा पुलिस मुख्यालय को पुनर्गठित किया गया है। इसके अनुसार सभी गैर क्षेत्रीय पद (Non Field Posts) पुलिस मुख्यालय का अंग होंगे। पुलिस महानिदेशक, बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रमुख होंगे। पुलिस मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उनके अधीनस्थ कार्य करेंगे। पुलिस मुख्यालय को कुल 14 प्रभागों में संगठित किया गया है, जिसके प्रभारी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारी होंगे। इसी संकल्प की कंडिका–5 के अनुसार एक त्रि–सदस्यीय समिति प्रभागों में विभिन्न स्तरों पर कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्धारण तथा किस प्रभाग में कौन–कौन प्रशाखा रहेंगी, इसकी अनुशंसा करेगी। उक्त अनुशंसा के आलोक में प्रभागों में विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की शक्ति क्या होगी, किस विषय की कौन सी संचिका किस स्तर पर निष्पादित होगी एवं कौन–कौन प्रशाखा किस प्रभाग विशेष में रहेंगे, इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, बिहार एक स्पष्ट आदेश निर्गत करेंगे। उक्त त्रि–स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है।

उसके आलोक में निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :–

2. **<u>पुलिस महानिदेशक का अनुमोदन</u>**– सभी प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कार्यों को पुलिस महानिदेशक, बिहार के पूर्व अनुमोदन से ही निष्पादित किया जायेगा :–

(क) राज्य सरकार से किये जाने वाले सभी पत्राचार ;

(ख) केन्द्र सरकार अथवा उसकी विभिन्न एजेंसियों से किये जाने वाले पत्राचार ;

(ग) सभी नीतिगत निर्णय ;

(घ) राष्ट्रीय एवं राज्य आयोगों यथा–राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, बिहार राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इत्यादि से होने वाले पत्राचार ;

(च) उच्चतम न्यायालय में दायर किये जाने वाले सभी प्रतिशपथ पत्र ;

(छ) उच्च न्यायालय में दायर किये जाने वाले सभी प्रतिशपथ पत्र, जिनमें पुलिस महानिदेशक, बिहार प्रतिवादी हों एवं

(ज) अन्य मामले जो पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा आदेशित हों। पुलिस हस्तक नियम–894 के अपवाद पूर्ववत् जारी रहेंगे।

3. **पत्राचार हेतु पत्र शीर्ष** (Letter Head)– पुलिस मुख्यालय के सभी प्रभागों द्वारा एक सामान्य प्रपत्र में पत्राचार किया जाएगा, जिसका पत्र शीर्ष निम्न प्रकार होगा –

पत्र संख्या <प्रशाखा का नाम>/<संचिका संख्या>/<निर्गत संख्या>
बिहार पुलिस मुख्यालय
(प्रभाग का नाम)

उदाहरण –

1. पत्र संख्या L-2/52–05–01–2019/.....
बिहार पुलिस मुख्यालय
(स्थापना एवं विधि प्रभाग)

2. **पत्रांक** .....
बिहार पुलिस मुख्यालय
(आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवं प्रोविजन प्रभाग)

4. प्रभागों की सामान्य कार्य प्रणाली एवं परस्पर समन्वय –

प्रभागों के रूप में पुलिस मुख्यालय को संगठित करने से अपेक्षित लाभ तभी प्राप्त हो सकेगा, जब सभी पदाधिकारी प्रभागों के क्षेत्राधिकार एवं पदधारकों की शक्तियों का सम्मान करें। इसके लिए परस्पर सम्मान एवं सद्भाव आवश्यक है। प्रभागों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया निम्न होगी –

(क) जिन कार्यों के लिए प्रभाग के पदाधिकारी पूर्णतः सक्षम हैं, वे निर्णय प्रभाग के सक्षम स्तर पर लिये जाएंगे।

(ख) जिन कार्यों के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन आवश्यक है एवं उन कार्यों के सम्पादन में कोई अन्य प्रभाग शामिल नहीं हैं अथवा कोई अन्य प्रभाग उससे प्रभावित नहीं होता है, तो प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा संचिका सीधा पुलिस महानिदेशक, बिहार को पृष्ठांकित की जाएगी।

यदि पुलिस महानिदेशक आवश्यक समझें तो संचिका निष्पादन पूर्व किसी अन्य वरीय पदाधिकारी का मंतव्य ले सकते हैं अथवा प्रस्ताव से संबंध रखने वाले किसी अन्य प्रभाग से प्रस्ताव की जाँच संचिका पर करा सकते हैं। पुलिस महानिदेशक के निर्णय के उपरान्त यह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

(ग) जिन कार्यों के सम्पादन में एक से अधिक प्रभाग शामिल हैं, उनके संबंध में संबद्ध प्रशासी प्रभाग द्वारा संचिका संबंधित अन्य प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारी को उनके मंतव्य/सुझाव/सहमति के लिए पृष्ठांकित की जाएगी। कार्य में शामिल सभी प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारियों की सहमति/मंतव्य प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार पुलिस महानिदेशक के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ संचिका उपस्थापित की जा सकती है। संचिका एवं कार्य का निष्पादन/समन्वय मूल प्रशासी प्रभाग की जिम्मेवारी होगी।

(घ) यदि अनेक प्रभाग किसी कार्य के निष्पादन में शामिल हैं, तो विषय की महत्ता के अनुरूप पुलिस महानिदेशक, बिहार अथवा वरीय प्रभाग प्रभारी पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी संबंधित प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारियों की बैठक आहूत की जाएगी, जिसमें सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिये जाएंगे। ऐसी बैठकों का वृत पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुमोदन से सम्बन्धित प्रशासी प्रभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(च) पुलिस महानिदेशक, बिहार विभिन्न प्रभागों के बीच समन्वय हेतु सांस्थानिक व्यवस्था–यथा समन्वय बैठक आदि का प्रावधान कर सकते हैं। इनमें किसी विशेष विषय अथवा सामान्य समन्वय पर चर्चा के साथ–साथ प्रभागों के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है।

5. <u>पदाधिकारियों की शक्तियां</u>–

प्रभागों में कार्यरत पुलिस अधीक्षक एवं उनसे वरीय कोटि के पदाधिकारियों की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का निर्धारण आवश्यक है। इस संबंध में सामान्य स्थिति निम्न प्रकार होगी –

(क) पुलिस अधीक्षक कोटि के पदाधिकारियों में वे सभी प्रशासनिक अधिकार निहित होंगे, जो जिला पुलिस अधीक्षक में निहित होते हैं। वे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के संबंध में पुरस्कार एवं सजा देने के लिए उसी प्रकार सक्षम होंगे। इसी प्रकार पुलिस उप–महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारी में क्रमशः क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां निहित होंगी। किसी कर्मी का निलंबन प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा ही किया जा सकेगा। किन्तु जिन इकाईयों, यथा–बिहार सैन्य पुलिस वाहिनियों, में पुरस्कार एवं सजा पुलिस हस्तक नियम के प्रावधान के अनुरूप दिये जाते हैं, वहाँ पूर्ववत जारी रहेंगे।

(ख) किसी प्रभाग विशेष अथवा उसके अधीन कार्यरत किसी कार्यालय के स्थापना/लेखा प्रभारी पुलिस अधीक्षक कोटि के पदाधिकारी में वे सभी वित्तीय शक्तियां निहित होंगी, जो जिला पुलिस अधीक्षक में निहित होती हैं।

उसी प्रकार पुलिस उप–महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारी में क्रमशः क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय पुलिस गहानिरीक्षक की वित्तीय शक्तियां निहित होंगी।

प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारी उपर्युक्त दोनो कंडिकाओं "क" एवं "ख" के संबंध में आवश्यक निर्देश दे सकेंगे, जो अधीनस्थ पदाधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे।

(ग) पुलिस महानिदेशक, बिहार कार्यालय के संबंध में सभी सामान्य प्रशासनिक शक्तियां पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) में निहित होंगी। महत्वपूर्ण मामलों में अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

इसी प्रकार पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) वित्तीय मामलों में क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के समरूप शक्तियों का उपयोग करेंगे। वाहनों के रख–रखाव हेतु 40,000/– (चालीस हजार) रूपये तक का व्यय वे स्वंय स्वीकृत कर सकेंगे।

कार्यालय व्यय शीर्ष में एकमुश्त 20,000/– (बीस हजार) रूपये तक का व्यय वे स्वंय स्वीकृत कर सकेंगे। अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) एकमुश्त 40,000/– (चालीस हजार) रूपये तक का व्यय स्वीकृत कर सकेंगे। उससे उपर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(घ) उपरोक्त प्रावधानों के साथ ही सभी पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप–महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारी अपने कार्यालय कक्ष में उपयोग हेतु एक मुश्त अधिकतम 20,000/– (बीस हजार) रूपये तक की राशि का व्यय स्वंय स्वीकृत कर सकेंगे। इसी प्रकार पुलिस महानिरीक्षक एवं अपर पुलिस महानिदेशक के लिए यह सीमा 30,000/– (तीस हजार) रूपये होगी। उसके उपर की राशि के लिए प्रभाग प्रभारी/कार्यालय प्रधान का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6. **<u>परस्पर प्रतिस्थानी पदाधिकारी</u>**– पुलिस मुख्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों में स्वभाविक है कि कुछ पद अस्थाई रूप से रिक्त हो सकते हैं एवं कुछ पदाधिकारी अवकाश, प्रशिक्षण, भ्रमण अथवा अन्य कारणों से अपने मुख्यालय से बाहर हों। ऐसी परिस्थिति में रूटीन कार्यों के निष्पादन हेतु सभी पदाधिकारियों के लिए प्रतिस्थानी पदाधिकारी की व्यवस्था रखना पुलिस मुख्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेहतर होगी। इस संबंध में निम्न व्यवस्था की जाती है –

(क) पुलिस महानिदेशक, बिहार के अवकाश अथवा अन्य कारणों से अनुपलब्ध होने की स्थिति में पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा नामित पदाधिकारी रूटीन कार्यों के प्रभार में होंगे।

(ख) नीचे की तालिका में कॉलम–2 एवं 3 के पदाधिकारी परस्पर प्रतिस्थानी होंगे। यह तालिका सामान्य मार्गदर्शन हेतु है, प्रतिस्थानी की आवश्यकता उत्पन्न होने पर मुख्यालय (पुलिस महानिदेशक कार्यालय) एवं बजट प्रभाग द्वारा विशिष्ट आदेश निर्गत किया जाएगा।

क्र.स.	कॉलम–2	कॉलम–3
1.	पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण)	अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण)/निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी
2.	पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस	पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण)/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण)
3.	अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)	अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था)
4.	अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग	अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा
5.	अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ एवं वितन्तु	अपर पुलिस महानिदेशक, आधुनिकीकरण एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो
6.	अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई	अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग
7.	पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)	पुलिस महानिरीक्षक (बजट/अपील/कल्याण)
8.	पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा	पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा
9.	अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (अभियान)	अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (आतंक निरोधी दस्ता)
10.	पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन)	पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण)
11.	पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ	पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो
12.	अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, मद्यनिषेध	अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई

अन्य पदाधिकारियों के लिए प्रतिस्थानी की व्यवस्था प्रभाग पदाधिकारी करेंगे।

7. <u>विभिन्न प्रभागों के कार्यक्षेत्र</u> <u>(Domain of Divisions)</u>–

7.1 पुलिस मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों के कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार होंगे :–

(1) <u>मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग</u> <u>(Human Resource Development and Training Division)</u>–

(क) इस प्रभाग में बिहार पुलिस अकादमी को छोड़कर सभी पुलिस प्रशिक्षण संस्थान यथा– 1. सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, 2. सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, सिमुलतल्ला, 3. सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, डुमरॉव एवं 4. बिहार सैन्य पुलिस वाहिनियों में विकसित प्रशिक्षण केन्द्र एवं पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) कार्यालय शामिल होंगे।

(ख) इस प्रभाग का उत्तरदायित्व प्रशिक्षण एवं अन्य माध्यमों से पुलिस में मानव संसाधन का विकास करना होगा। पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) प्रभाग के प्रभारी होंगे एवं इस रूप में वे बिहार पुलिस के मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण के नियंत्रण में होंगे। सभी नीतिगत निर्णय पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा अथवा उनके माध्यम से राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा लिये जायेंगे।

(ग) प्रशिक्षण संबंधी संचिकाएं इस प्रभाग में संधारित की जाएंगी। प्रशिक्षण संबंधी नये प्रयास (Initiative) इस प्रभाग से अपेक्षित होंगे। सभी पुलिस पदाधिकारी/कर्मी प्रशिक्षण हेतु मनोनीत होने से लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने तक मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग के अनुशासन में होंगे। मनोनयन रद्द करने की क्षमता उप कण्डिका (घ) के अनुसार प्रभाग के सक्षम पदाधिकारी अथवा पुलिस महानिदेशक, बिहार में निहित होगी। विधि–व्यवस्था कर्तव्यों के लिए प्रशिक्षुओं की प्रतिनियुक्ति पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) के औपचारिक अनुमोदन के उपरान्त ही की जा सकेगी।

(घ) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन एवं उसके लिए प्रशिक्षुओं का मनोनयन इत्यादि संबंधी निर्णय लेने की क्षमता निम्न प्रकार होगी। पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मनोनीत करने के पूर्व क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक अथवा सम्बन्धित इकाई के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी से अनौपचारिक विमर्श करना लाभदायक होगा।

(i) IPS (अनिवार्य प्रशिक्षण छोड़कर)/BPS पदाधिकारी– पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण)

इनसे संबंधित संचिकाओं पर राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक का अनुमोदन कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा ताकि पदाधिकारियों के प्रतिस्थानी की आवश्यकता/उपलब्धता आदि की समीक्षा की जा सके। भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग द्वारा निष्पादित किये जाएंगे।

राजपत्रित पदाधिकारियों की कार्यशाला, वर्कशॉप, सेमिनार इत्यादि का आयोजन एवं संचालन भी पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा इसी प्रभाग के तहत किया जाएगा।

(ii) पुलिस निरीक्षक, अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारी– अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण)।

(iii) सिपाही एवं हवलदार तथा समकक्ष कोटि के कर्मी– पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)।

यदि कोई पद रिक्त हो तो वैकल्पिक व्यवस्था पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा की जाएगी।

(च) प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास एवं उनका आधुनिकीकरण पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) के कार्यक्षेत्र में होगा।

(छ) मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग में 4 प्रशाखाएं कार्यरत होंगी। इनका संगठन एवं इनके बीच कार्यों का वितरण पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) के आदेशानुसार किया जाएगा। इन प्रशाखाओं के सुचारू संचालन हेतु निम्न अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है, जो पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार उपलब्ध कराये जाएंगे–

क्र.स.	पदनाम	संख्या
1	पुलिस निरीक्षक	4
2	अवर निरीक्षक	6
3	सहायक अवर निरीक्षक	4
4	सिपाही	6
कुल		**20**

(i) प्रशिक्षण–1 (Trg-1) (ii) प्रशिक्षण–2 (Trg-2) (iii) प्रशिक्षण–3 (Trg-3)

(iv) प्रशिक्षण–4 (Trg-4)

(2) **बिहार पुलिस अकादमी प्रभाग** (Bihar Police Academy Division)– बिहार पुलिस अकादमी की महत्ता को देखते हुए इसे एक अलग प्रभाग का दर्जा दिया गया है। यह एक छोटी इकाई (Compact Unit) है, अतः इसका प्रशासन निदेशक द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। आवश्यकतानुसार निदेशक कार्यालय आदेश, इत्यादि के माध्यम से प्रशासनिक निर्णय लेंगे।

(3) **सैन्य पुलिस एवं खेल–कूद प्रभाग** (Military Police and Sports Division)–बिहार सैन्य पुलिस की सभी वाहिनियों सहित सभी वरीय पदाधिकारी इस प्रभाग में शामिल होंगे। सैन्य पुलिस के प्रबंधन के साथ–साथ बिहार पुलिस में होने वाले सभी खेल–कूद सम्बंधी कार्यों का कुशल संचालन इस प्रभाग का उत्तरदायित्व होगा।

यह प्रभाग पूर्व से सुसंगठित है। वाहिनियों के संचालन की जिम्मेवारी समादेष्टा में निहित है। उनके उत्तरदायित्व एवं शक्तियां बिहार पुलिस हस्तक, सैन्य पुलिस हस्तक एवं राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों द्वारा निर्धारित हैं। पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस की जिम्मेवारी एवं शक्तियां भी उसी प्रकार निर्धारित हैं।

पुलिस महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस दंगा निरोधी वाहिनियों के प्रभारी पदाधिकारी हैं। उसके साथ वे सैन्य पुलिस की विशेषीकृत वाहिनियों यथा अश्वारोही सैन्य पुलिस, बिहार औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के लिए भी उत्तरदायी होंगे। इन वाहिनियों के प्रशिक्षण,

साजो–सामान, उपकरण, आवासन, इत्यादि की समुचित व्यवस्था करने एवं उनके उन्नयन का कार्य करेंगे।

पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, सैन्य पुलिस सभी वाहिनियों के व्यवसायिक उन्नयन के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होंगे। सैन्य पुलिस का नियमित प्रशासन उनके मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश में चलाया जाएगा। पुलिस में खेल–कूद के सुचारू संचालन हेतु उनके कार्यालय में एक कोषांग गठित किया जाएगा, जिसके प्रभारी के रूप में पुलिस उप–महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस अथवा समादेष्टा नामित होंगे। इस प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारी पदनाम से बिहार पुलिस खेल–कूद के नोडल पदाधिकारी होंगे। खेल–कूद संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों पर पुलिस महानिदेशक, बिहार की सहमति आवश्यक होगी।

(4) <u>अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग</u><u>(CID and Weaker Section Division)</u>– सम्पूर्ण अपराध अनुसंधान विभाग जिसमें कमजोर वर्गों के विरूद्ध अनुसंधान हेतु गठित कोषांग शामिल है, एक प्रभाग है।

अपराध अनुसंधान विभाग की प्रमुख जिम्मेवारी संगठित अपराधों का अनुसंधान करना है। इसके साथ ही विभिन्न जिला पुलिस द्वारा किये जा रहे काण्डों के अनुसंधान में व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना है। अपराध अनुसंधान एवं आपराधिक कानूनों के संबंध में यह प्रभाग राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु जिम्मेवार होगा। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से समन्वय इस प्रभाग के कार्यक्षेत्र में होगा। विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, श्वान दस्ता, फिन्गर प्रिन्ट ब्यूरो, फोटो ब्यूरो इत्यादि इकाई इस प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे।

इसी प्रकार की कार्रवाई कमजोर वर्ग कोषांग द्वारा कमजोर वर्ग से संबंधित काण्डों के संदर्भ में की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग के माध्यम से यह कोषांग राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को कमजोर वर्ग से संबंधित सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करेगा।

काण्डों के अनुसंधान के संदर्भ में जिला पुलिस को दिये जाने वाले सभी निदेश अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग के अनुमोदन से ही निर्गत किये जाएंगे।

अपराध आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण, जो पूर्व से अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किया जाता रहा है, वह अब राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा किया जाएगा।

इस प्रभाग द्वारा अनुसंधानित/नियंत्रित काण्डों में निर्णय लेने की क्षमता को कोटिवार निर्धारित किया जाना आवश्यक है। यह एक जटिल कार्य है, जो नये पुलिस हस्तक के माध्यम से किया जाएगा। तब तक पूर्व की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(5) **आसूचना एवं सुरक्षा प्रभाग** (Intelligence and Security Division)– सम्पूर्ण विशेष शाखा जिसमें सुरक्षा कोषांग शामिल है, एक प्रभाग है।

आसूचना संकलन एवं विश्लेषण एक अत्यन्त ही संवेदनशील कार्य है, जिसके गंभीर एवं दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, अतएव आसूचना संबंधी सभी व्यवसायिक निर्णय लेने की शक्ति अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा में निहित होगी। इसी प्रकार विशेष शाखा के संबंध में प्रशासनिक निर्णय भी अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा ही लिये जाएंगे। आसूचना ब्यूरो से समन्वय इस प्रभाग के कार्यक्षेत्र में होगा। साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के उद्देश्य से किये जाने वाले प्रयास इस प्रभाग से अपेक्षित हैं।

पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा के अधीनस्थ कार्य करेंगे।

पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) राज्य के अन्दर सभी महानुभावों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जिम्मेवार होंगे। वे पदेन विशेष सुरक्षा दल (SSG) के प्रभारी पदाधिकारी हैं। इस रूप में माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार होंगे। अंगरक्षक एवं हाउस–गार्ड, इत्यादि के संबंध में निर्णय उनकी अध्यक्षता में गठित समिति में लिया जाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा में लगे कर्मियों के व्यवसायिक उन्नयन, साजो–सामान, प्रशिक्षण, इत्यादि के लिए वे जिम्मेवार होंगे। जिला पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये अंगरक्षक, इत्यादि भी उनके अधिकार क्षेत्र में होंगे। व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधित नीतिगत निर्णय के नये प्रयास (Initiative) इनके स्तर से लिए जाएंगे, जिनपर पुलिस महानिदेशक/राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। सुरक्षा उपकरणों का रख–रखाव, संरक्षण एवं आवश्यकतानुसार जिला बल को अस्थायी आवंटन पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) के द्वारा ही किया जाएगा। विशेष सुरक्षा दल (SPG) एवं अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए गठित विशेष पुलिस इकाईयों से समन्वय के लिए पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) जिम्मेवार होंगे।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में परिभ्रमण सुरक्षा, सुरक्षा संबधित कार्य यथा– भारत सरकार के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश की सुरक्षा संबंधी कार्य एल–2 शाखा से किया जा रहा था। इसी प्रकार अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, आवास प्रहरी (हाउस गार्ड) की प्रतिनियुक्ति तथा अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति यथा– विधायक, सांसद, पार्षद, माननीय न्यायाधीश एवं विभिन्न व्यक्तियों के अंगरक्षक का कार्य एल–2 शाखा से किया जा रहा था। अब ये सभी कार्य पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) द्वारा इस प्रभाग के तहत किये जाएंगे।

(6) मद्यनिषेध प्रभाग (Prohibition Division)– अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, मद्यनिषेध के नेतृत्व में राज्य में मद्यनिषेध लागू करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र इकाई गठित है। मद्यनिषेध की महत्ता एवं इस उद्देश्य से किये जाने वाले कार्यों की जटिलता को देखते हुए मद्यनिषेध प्रभाग गठित किया गया है। यह एक अत्यन्त संवेदनशील प्रभाग है, जिसके संबंध में सभी व्यवसायिक एवं प्रशासनिक निर्णय लेने की शक्ति प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारी में निहित होगी।

(7) आर्थिक एवं साईबर अपराध प्रभाग (Economic and Cyber Crimes Division)–

सम्पूर्ण आर्थिक अपराध इकाई जिसमें साईबर अपराध हेतु कोषांग शामिल है, एक प्रभाग है।

आर्थिक अपराध इकाई की प्रमुख जिम्मेवारी आर्थिक अपराधों का अनुसंधान करना है। इसके साथ ही विभिन्न जिला पुलिस द्वारा किये जा रहे काण्डों के अनुसंधान में व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना है। आर्थिक अपराधों के संबंध में यह प्रभाग राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु जिम्मेवार होगा। Narcotics Control Bureau, Enforcement Directorate, Cy CORD, CERT-IN आदि एजेन्सियों से समन्वय इस प्रभाग के कार्यक्षेत्र में होगा।

इसी प्रकार की कार्रवाई साईबर अपराध कोषांग द्वारा साईबर अपराध से संबंधित काण्डों के संदर्भ में की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से यह कोषांग राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को साईबर अपराध से संबंधित सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करेगा।

इस प्रभाग द्वारा अनुसंधानित/नियंत्रित काण्डों में निर्णय लेने की क्षमता को कोटिवार निर्धारित किया जाना आवश्यक है। यह एक जटिल कार्य है, जो नये पुलिस हस्तक के माध्यम से किया जाएगा।

(8) संचार प्रभाग (Communication Division)–सम्पूर्ण बिहार पुलिस रेडियो (वितंतु संगठन) एक प्रभाग होगा, जिसका उद्देश्य बिहार पुलिस की संचार प्रणाली का प्रबंधन करना होगा। इसके साथ ही यह प्रभाग बिहार पुलिस को तकनीकी सेवा उपलब्ध कराने का माध्यम होगा। सभी प्रकार की तकनीकी संरचना (Technical Infrastructure) की स्थापना, उसका संरक्षण, संचालन एवं विकास इस प्रभाग की जिम्मेवारी होगी। इस संबंध में नये प्रयास करना और उन्हें क्रियान्वित करना इस प्रभाग से अपेक्षित है। सभी जिले में जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना, उन्नयन, संचालन इस प्रभाग की जिम्मेवारी होंगी। राज्य स्तरीय ERSS, Dial 100, Police Help Line, पुलिस महानिदेशक नियंत्रण कक्ष सहित सभी जिला नियंत्रण

कक्ष के लिए वे प्रभारी पदाधिकारी होंगे। पुलिस महानिदेशक नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सभी प्रभाग जिलों/प्रतिष्ठानों से व्यवसायिक संवाद कर सकें, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं एवं वितन्तु इनके संबंध में सभी निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे।

पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं वितन्तु नेटवर्क के लिए जिम्मेवार होंगे। पुलिस की सभी इकाइयां वितन्तु के माध्यम से एक–दूसरे से जुड़ी रहें और किसी भी परिस्थिति में वितन्तु के माध्यम से संवाद करना सुगम हो, यह पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं का अधिकार क्षेत्र होगा। बिहार पुलिस रेडियो के कर्मियों का प्रशिक्षण DCPW की मदद से कराना इनकी जिम्मेवारी होगी।

वितन्तु संगठन का प्रशासनिक कार्य अपर पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार संचालित किये जाएंगे।

(9) <u>विधि–व्यवस्था प्रभाग</u> (Law & Order Division)– राज्य सरकार द्वारा गृह विभाग के दो संकल्पों 6617, दिनांक– 24.6.19 एवं 8305, दिनांक– 9.8.19 द्वारा राज्य में विधि–व्यवस्था संधारण हेतु तंत्र का विकास एवं राज्य के पुलिस थानों में अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था इकाई के पृथक्करण का निर्णय लिया गया है। इन संकल्पों में वर्णित लक्ष्यों को प्राप्त करना इस प्रभाग का उत्तरदायित्व होगा।

इस प्रभाग में निम्न प्रशाखाएं कार्यरत होंगी। अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) द्वारा प्रशाखाओं के उत्तरदायित्व में आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है।

(i) **<u>विधि–व्यवस्था–1</u>** :–

(क) गंगा नदी के उत्तर के सभी जिलों से संबंधित विधि–व्यवस्था।

(ख) दंगा निरोधी वाहिनी एवं जिला दंगा निरोधी बल (DARP)का विकास।

(ग) थानास्तर पर विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान का पृथक्कीकरण।

(घ) विधि–व्यवस्था तंत्र का विकास।

(च) भीड़ द्वारा हिंसा (Mob Violence) सम्बन्धी मामले इत्यादि।

(छ) अन्य आवंटित कार्य।

(ii) **<u>विधि–व्यवस्था–2</u>** :–

(क) गंगा नदी के दक्षिण के सभी जिलों से संबंधित विधि–व्यवस्था।

(ख) इन्टरनेट सेवा निलंबन आदेश का अनुपालन।

(ग) साम्प्रदायिक स्थिति का नियंत्रण इत्यादि।

(घ) अन्य आवंटित कार्य।

(iii) **विधि–व्यवस्था–3** :–

(क) पूरे राज्य अथवा बड़े हिस्से में समेकित रूप से घटित मामले यथा, चुनाव, गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस, सभी धार्मिक एवं त्यौहार जैसे– होली, दशहरा, रामनवमी, मुहर्रम, बकरीद, ईद, दीपावली, छठ आदि तथा उक्त मामलों से संबंधित अलर्ट।

(ख) माननीय राष्ट्रपति/उप–राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री आदि अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के यात्रा के क्रम में विधि–व्यवस्था।

(ग) विभिन्न परीक्षाओं के संचालन हेतु विधि–व्यवस्था एवं अलर्ट।

(घ) मासिक विधि–व्यवस्था समीक्षा रिपोर्ट तैयार करना।

(च) सभी पर्व–त्योहार का खैरियत प्रतिवेदन

(छ) सभी प्रकार के सामान्य अलर्ट।

(ज) पूर्वाभास प्रतिवेदन (Law and Order Supervision)।

(झ) मुख्यालय स्तर पर आयोजित समकालीन अभियान (S-Drive)।

(ट) माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों की सुरक्षा से संबंधित कार्य इत्यादि।

(ठ) विधि–व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन, खैरियत प्रतिवेदन एवं संबंधित एलर्ट। महानिदेशक नियंत्रण कक्ष एवं विधि–व्यवस्था संबंधी सभी मामले, दैनिक, पाक्षिक, मासिक गोपनीय प्रतिवेदन तथा अपराध समीक्षा।

(iv) **बल प्रशाखा** (Force Section):– विधि–व्यवस्था संधारण हेतु बलों की प्रतिनियुक्ति इस शाखा का मुख्य कार्य होगा। भा0पु0से0 एवं बि0पु0से0 के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग द्वारा की जाएगी। जिला बल, सैन्य पुलिस, केन्द्रीय बल सहित अश्रु गैस दस्ता एवं बम दस्ता की प्रतिनियुक्ति इस शाखा का मुख्य कार्य होगा।

(v) **XL प्रशाखा**– XL प्रशाखा के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाएंगे –

(क) सड़क, हवाई अड्डा, न्यायालय, बैंक, रेलवे, धार्मिक संस्थान एवं अन्य संस्थानों की सुरक्षा।

(ख) अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषय (भारत–नेपाल, भारत–बांगलादेश आदि)।

(ग) भूमि विवाद, सीमा विवाद, वन अधिनियम आदि से संबंधित मामले।

(घ) विशेष अधिनियम से संबंधित कार्य यथा (CCA, NSA) अधिनियम आदि।

(च) आपकी सरकार आपके द्वार, कब्रिस्तान घेराबन्दी।

(छ) सभी प्रकार के परिवाद का निष्पादन।

(ज) अन्य कार्य।

(10) स्थापना एवं विधि प्रभाग(Establishment and Legal Division)–राज्य सरकार द्वारा गृह विभाग के संकल्प 8306, दिनांक– 9.8.19 द्वारा सभी पुलिस जिलों से लेकर पुलिस महानिदेशक कार्यालय तक में न्यायालय संबंधी कार्यो हेतु अभियोजन शाखा एवं विधि शाखा का गठन किया गया है। इस संकल्प में वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति इस प्रभाग की जिम्मेवारी होगी। साथ हीं पुलिस विभाग में संस्थागत विकास यथा नये प्रतिष्ठानो एवं पदों के सृजन, इनके उन्नयन, मानकीकरण एवं मूल्यांकन आदि के लिए कार्य करना इस प्रभाग का कार्यक्षेत्र होगा।

इस प्रभाग में निम्न शाखाएं कार्यरत होंगी –

(i) विधि प्रशाखा–विधि शाखा के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाएंगे –

(क) विभिन्न प्रकार की याचिकाओं में ससमय प्रति–शपथ पत्र दायर किया जाना।

(ख) विभिन्न न्यायादेशों का क्रियान्वयन (Implementation of Judicial Orders)।

(ग) जमानत रद्दीकरण (Bail Cancellation)।

(घ) Bihar Control of Crime Act, 1981के तहत कार्रवाई।

(च) त्वरित अपील (Speedy Appeal)– सत्र न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध।

(छ) उच्च/सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अन्य कोई कार्य।

(ii) अभियोजन प्रशाखा– अभियोजन प्रशाखा के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाएंगे –

(क) सामान्य विचारण (ख) त्वरित विचारण (ग) त्वरित अपील

(घ) पुलिस एवं न्यायालय के रिकार्ड का मिलान (बुझारत)

(च) वारन्ट, इश्तेहार एवं कुर्की–जप्ती का लेखा–जोखा एवं उसकी प्राप्ति में सहयोग।

(छ) जिला एवं सत्र न्यायालय एवं अनुमण्डलीय न्यायालय से संबंधित अन्य कोई कार्य।

(iii) स्थापना प्रशाखा–1 (L-1)– L-1 प्रशाखा के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाएंगे –

(क) जिला बल की स्थापना यथा– थाना/ओ0पी0, अंचल, पुलिस अनुमण्डल, पुलिस जिला से संबंधित स्थापना कार्य। थाना/ओ0पी0/टी0ओ0पी0 का सृजन एवं थानों का क्षेत्राधिकार संबंधित कार्य।

(ख) पशुओं पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम।

(ग) झण्डोत्तोलन, झंडा दिवस से संबंधित कार्य।

(घ) अराजपत्रित पदाधिकारियों का चरित्र सत्यापन।

(च) भा0पु0से0 एवं बि0पु0से0 के पदाधिकारियों की मासिक कार्य विवरणी, भ्रमण दैनिकी एवं निरीक्षण टिप्पणी।

(छ) विविध कार्य, जो अन्य शाखाओं को आवंटित नहीं है।

(iv) **स्थापना प्रशाखा–2** (L-2)– L-2 प्रशाखा के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाएंगे –

(क) पुलिस बल से संबंधित राज्य स्तरीय स्थापना कार्य।

(ख) जिला बल को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठानों यथा, बिहार सैन्य पुलिस, विशेष कार्य बल, अपराध अनुसंधान विभाग, इत्यादि से संबंधित स्थापना कार्य।

(ग) बल विवरणी/मासिक बल विवरणी एवं पुलिस बल के मूल आँकड़े संबंधित कार्य।

(घ) सभी कोटियों के पदों का सृजन एवं बिहार सैन्य पुलिस के वाहिनियों का गठन संबंधित कार्य।

(च) पुलिस आदेश/कार्यालय आदेश/पुलिस अधिनियम/पुलिस हस्तक नियम आदि का रख–रखाव।

(छ) अन्य कार्य जो विशिष्ट रूप से आवंटित किये जाएं।

(v) **XC प्रशाखा**– XC प्रशाखा के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जायेंगे –

(क) मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल आयोग, बाल उत्पीड़न, विशेष किशोर एकक न्याय अधिनियम, लोक सेवा का अधिकार एवं अन्य सभी आयोग संबंधी कार्य।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी कार्य।

(ग) अन्य आवंटित कार्य।

(11) कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग (Personnel and Welfare Division)– पुलिस कर्मियों का प्रबंधन एवं कल्याण इस प्रभाग का कार्यक्षेत्र होगा। पुलिसकर्मियों की नियुक्ति से लेकर सेवानिवृति के उपरान्त तक उनसे संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन इस प्रभाग द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जब किसी कार्य की इकाई कर्मी अथवा कर्मीगण हों, तो वह कार्य कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग द्वारा किया जाएगा, दूसरी ओर कार्य की इकाई प्रतिष्ठान हो, तो यह कार्य स्थापना प्रभाग द्वारा किया जाएगा।

इस प्रभाग में निम्न प्रशाखाएं कार्यरत होंगी –

(i) **पी0–1**(Pers-1)– इस प्रशाखा के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य किये जाएंगे–

(क) पुलिस निरीक्षक, परिचारी प्रवर, सूबेदार एवं समकक्ष कार्मिक एवं प्रोन्नति।

(ख) पुलिस महानिदेशक कार्यालय के कार्मिक कार्य (प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, उ0व0लिपिक, दफ्तरी, इत्यादि) परिवाद एवं आरोप सहित।

(ग) संबंधित अपील एवं अन्य कार्य।

(ii) **पी0–2 (Pers-2)**– इस प्रशाखा के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य किये जाएंगे–

(क) पुलिस अवर निरीक्षक, परिचारी एवं प्रा0अ0नि0(प्रशिक्षण) एवं समकक्ष के कार्मिक कार्य।

(ख) स0अ0नि0 एवं समकक्ष कोटि के कार्मिक कार्य (वरीयता, परिवाद एवं आरोप सहित)।

(ग) सिपाही से स0अ0नि0 में प्रोन्नति का कार्य।

(घ) संबंधित अपील एवं अन्य कार्य।

(च) वाह्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति।

(छ) प्रशिक्षण एवं अन्य संगठनों के उपर्युक्त कोटियों से संबंधित पत्राचार।

(iii) **पी0–3 (Pers-3)**– इस प्रशाखा के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य किये जाएंगे–

(क) सिपाही नियुक्ति (सैन्य पुलिस सहित)।

(ख) सिपाही स्थानान्तरण/पदस्थापन।

(ग) सिपाहियों की वरीयता।

(घ) संबंधित अपील एवं मेमोरियल।

(iv) **पी0–4 (Pers-4)**– इस प्रशाखा के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य किये जाएंगे–

(क) आयुद्धिक संवर्ग, चालक संवर्ग से संबंधित कार्मिक कार्य।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

(ग) संबंधित अपील एवंअन्य कार्य।

(v) **पी0–5 (Pers-5)**– इस प्रशाखा के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य किये जाएंगे–

(क) आशु संवर्ग का स्थापना संबंधित कार्य।

(ख) हवलदार कोटि का स्थापना संबंधी कार्य।

(ग) बि0सै0पु0 एवं वितन्तु से संबंधित सभी मामले।

(घ) क्षेत्रीय कार्या0 लिपिकों के कार्मिक कार्य।

(च) चतुर्थ वर्ग नियुक्ति एवं अन्य कार्मिक कार्य।

(छ) पुलिस अस्पताल एवं चिकित्सकों से संबंधित कार्य।

(ज) संबंधित अपील एवं अन्य कार्य।

(vi) **एक्स.पी.**– इस प्रशाखा के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य किये जाएंगे–

(क) भा0पु0से0 एवं बि0पु0से0 के कार्मिक संबंधी सभी कार्य।

(ख) पी0ए0आर0, वार्षिक सम्पति विवरणी।

(ग) भा0पु0से0 एवं बि0पु0से0 का राज्य से बाहर यात्रा की अनुमति एवं एल0टी0सी0।

(घ) भा0पु0से0 एवं बि0पु0से0 के पदाधिकारियों की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति।

(च) सराहनीय एवं विशिष्ट, आंतरिक सुरक्षा, पराक्रम पदक और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुरस्कार, वीरता पदक एवं पारी से बाहर प्रोन्नति।

(छ) पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक कोटि में प्रोन्नति।

(ज) भा0पु0से0 एवं बि0पु0से0 के विरूद्ध परिवाद/आरोप।

(vii) जन शिकायत– इस प्रशाखा द्वारा जन शिकायत तथा जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित परिवाद, आर0 टी0 पी0 एस0 से संबंधित सभी कार्य किये जाएंगे।

(viii) विधान मंडल– इस प्रशाखा के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जायेंगे –

(क) विधान मंडलीय कार्य।

(ख) लोक सभा/राज्य सभा से संबंधित प्रश्न, अभिभाषण प्रारूप, बिहार दिवस एवं सोनपुर मेला से संबंधित सभी कार्य।

(ix) निगरानी– इस प्रशाखा के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य किये जाएंगे–

(क) पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से सिपाही एवं समकक्ष कोटि तक के पदाधिकारियों/कर्मियों तथा असैनिक संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध आरोप, यथा– पद का दुरूपयोग, आय से अधिक संपत्ति का अर्जन, Trap केस, विभागीय कार्यवाही, आपराधिक/फौजदारी मामले।

(ख) पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से सिपाही एवं समकक्ष कोटि तक के पदाधिकारियों/कर्मियों तथा असैनिक संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध समस्त परिवाद/शिकायत आदि से संबंधित सभी कार्य।

(12) मुख्यालय (पुलिस महानिदेशक कार्यालय) एवं बजट प्रभाग (Headquarter (DGP Office) and Budget Division)– राज्य पुलिस के बजट का प्रबंधन पुलिस महानिरीक्षक (बजट, कल्याण एवं अपील) एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। साथ हीं पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है। इनके कुशल निष्पादन हेतु एक अलग प्रभाग गठित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रभाग में निम्न प्रशाखाएं कार्यरत होंगी –

(i) **वित्त–1**–

(क) पुलिस बजट मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस का पूर्ण प्रबंधन।

(ख) राशि का आवंटन एवं व्यय संधारण।

(ग) बजट निर्माण कार्य।

(घ) लोक सेवा समिति एवं प्राक्कलन समिति से संबंधित कार्य।

(च) अनुग्रह अनुदान से संबंधित कार्य।

(छ) एस0आर0ई0, एस0आई0एस0 / योजना।

(ज) आधुनिकीकरण राशि का आवंटन।

(झ) पुलिस भवनों के किराया का निर्धारण।

(ii) <u>वित्त–2</u>–

(क) बिहार पुलिस की विभिन्न इकाईयों यथा, जिला बल, सैन्य पुलिस वाहिनियों एवं अन्य इकाईयों की वित्तीय निगरानी (Financial Supervision /Oversight) करना।

(ख) विराम भत्ता, भविष्य निधि अग्रिम एवं अंतिम निकासी ग्रुप बीमा एवं अग्रिम तथा कम्प्यूटर / मोटरसाईकिल तथा गृह निर्माण आदि।

(ग) सिपाही से भा0पु0से0 तक का पेंशन / उपादान, असाधारण पारिवारिक पेंशन कार्य।

(घ) निरीक्षण प्रतिवेदन।

(च) कल्याण कोष, शिक्षा कोष एवं परोपकारी कोष से संबंधित कार्य।

(iii) पुलिस महानिदेशक कार्यालय की लेखा प्रशाखा।

(iv) पुलिस महानिदेशक कार्यालय की रक्षित प्रशाखा (Audio-Visual कोषांग के साथ)।

(v) पुलिस मुख्यालय यातायात प्रशाखा (HQRT)।

(vi) पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा प्रशाखा।

(vii) नवाचार एवं जन–सम्पर्क प्रशाखा (Protocol & Public Relations Section)– IPS Mess, Transit Hostel एवं अन्य प्रकार के नवाचार कार्य। अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) पदेन पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता होंगे। विशेष परिस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था पुलिस महानिदेशक, बिहार के द्वारा की जाएगी।

(viii) चुनाव प्रशाखा (Election Section)–लोकसभा / विधान सभा, ग्राम पंचायत एवं अन्य सभी चुनावों से संबंधित कार्य।

उपरोक्त क्रमांक (vi), (vii) एवं (viii) की प्रशाखाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न पदाधिकारी एवं कर्मी उपलब्ध कराये जाएंगे। ये सभी पद पुलिस महानिदेशक कार्यालय के स्वीकृत बल के भाग होंगे।

क्र.स.	पदनाम	संख्या
1	पुलिस उपाधीक्षक	4
2	पुलिस निरीक्षक	6
3	अवर निरीक्षक	8
4	सिपाही	10
कुल		**28**

(13) आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवं प्रोविजन प्रभाग (Modernization, Crime Records and Provision Division)– राज्य पुलिस को आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति, पुलिस के आधुनिकीकरण एवं अपराध अभिलेखों के संधारण हेतु यह प्रभाग गठित किया गया है। इसमें 3 इकाईयां शामिल हैं।

13.1 आधुनिकीकरण (Modernization)– इसके अन्तर्गत निम्न प्रशाखाएं कार्यरत होंगी –

(i) **आधुनिकीकरण–1** (Mod-1)– यह केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित कार्य करेगी।

(क) गृह मंत्रालय, भारत सरकार की पुलिस आधुनिकीकरण योजना संबंधित सभी कार्य।

(ख) केन्द्र सरकार की पुलिस संबंधी सभी योजनाओं से संबंधित कार्य यथा, ERSS, CCTNS, SRE, SIS, SPC, CCPWC etc.

(ग) पुलिस आधुनिकीकरण संबंधी दूरगामी योजना तैयार करना।

(ii) **आधुनिकीकरण–2** (Mod-2)– यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से संबंधित कार्य करेगी।

(क) राज्य योजना/गैर योजना संबंधी कार्य।

(ख) पुलिस भवनों के लिए भूमि अधिग्रहण एवं भवन निर्माण से संबंधित सभी कार्य।

(ग) पुलिस भवनों का रख–रखाव एवं मरम्मति संबंधी कार्य।

(घ) जिला/पुलिस इकाईयों का सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य।

(च) राज्य पुलिस की सभी अचल सम्पत्ति एवं भवनों का लेखा–जोखा।

(iii) **आधुनिकीकरण–3** (Mod-3)–

(क) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के योजना अन्तर्गत स्वीकृत सभी कार्यों का अनुश्रवण।

(ख) भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस।

(ग) DGP/IGP सम्मेलन।

(घ) BPR&D से प्राप्त सुझावों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

(च) पुलिस की विभिन्न शाखाओं को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढ़ंग से विकसित करने हेतु योजना तैयार करना।

(छ) विधि–विज्ञान प्रयोगशाला के लिए क्रय से संबंधित कार्य।

(iv) **तकनीकी प्रशाखा**– यह पुलिस आधुनिकीकरण के तकनीकी पहलुओं पर कार्य करेगी। इसमें निम्नलिखित इकाईयां होंगी –

(क) Weapon Wing (ख) Electronics/New Technology & Innovation Wing

(ग) Building & Designing Wing

आधुनिकीकरण के कार्यों को करने के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या काफी कम है। कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग द्वारा पदों के स्थानान्तरण के माध्यम से उपरोक्त शाखाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न पदाधिकारी एवं कर्मी उपलब्ध कराये जाएंगे। ये सभी पद पुलिस महानिदेशक कार्यालय के स्वीकृत बल के भाग होंगे।

क्र.स.	पदनाम	संख्या
1	पुलिस उपाधीक्षक	4
2	पुलिस निरीक्षक	6
3	अवर निरीक्षक	4
4	सिपाही	8
कुल		**22**

13.2 <u>अपराध अभिलेख (Crime Records)</u>– इसके अन्तर्गत निम्न प्रशाखाएं कार्यरत होंगी–

(i) सांख्यिकी प्रशाखा– सभी प्रकार के अपराध आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण इस शाखा की जिम्मेवारी होगी। ये कार्य पूर्व में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किये जा रहे थे, अब ये पूर्णतः राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा किये जायेंगे। Crime in India से संबंधित सभी कार्य इस शाखा द्वारा किये जाएंगे। बिहार पुलिस संगठन के सभी आँकड़े भी इस प्रशाखा द्वारा संकलित, संधारित एवं प्रकाशित किये जाएंगे।

(ii) राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो मुख्यालय शाखा (SCRB HQ Section)– इसमें इस इकाई की स्थापना, लेखा, रक्षित, सरकारी सम्पत्ति एवं मोटर परिवहन, इत्यादि संबंधी सभी कार्य किये जाएंगे। BPR&D एवं NCRB से समन्वय इस इस प्रशाखा की जिम्मेवारी होगी।

(iii) प्रशिक्षण प्रशाखा– इसका उत्तरदायित्व राज्य के सभी कोटि के कर्मियों को कम्प्यूटर एवं CCTNS के संबंध में प्रशिक्षित करना है।

(iv) Bihar Bureau of Police Research & Development Unit - राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के अधीन यह एक रिसर्च इकाई के रूप में कार्य करेगी।

(v) CCTNS Section- राज्य के CCTNS Network का कुशल परिचालन इस इकाई की जिम्मेवारी होगी।

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में पूर्व से विभिन्न कोटियों के 106 पद स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त Bihar Bureau of Police Research & Development Unit के लिए विभिन्न पदों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अतएव इसके लिए किसी अतिरिक्त पद की आवश्यकता नहीं है।

13.3 **<u>प्रोविजन (Provision)</u>**– इसके अन्तर्गत निम्न प्रशाखाएं कार्यरत होंगी –

(i) **<u>आपूर्ति प्रशाखा–1</u>**– इस प्रशाखा द्वारा निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत क्रय की कार्रवाई की जाएगी :–

(क) सामग्री एवं पूर्तियाँ। (ख) मोटर वाहन।

(ग) पुलिस प्रशासन एवं ढ़ाँचागत सुदृढ़ीकरण।

इसके अलावे खेल–कूद एवं बेल्ट्रॉन से क्रय संबंधित कार्य किये जाएंगे।

(ii) **<u>आपूर्ति प्रशाखा–2</u>**– इस प्रशाखा द्वारा निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत क्रय की कार्रवाई की जाएगी :–(क) पुलिस आधुनिकीकरण योजना।

(ख) शस्त्र एवं गोला बारूद। (ग) प्रकाशन एवं मुद्रण।

इसके अलावे श्वान एवं अश्वों का क्रय और एस0आर0ई0 से सबंधित कार्य किये जाएंगे।

(iii) **निरीक्षण प्रशाखा**– इस प्रशाखा द्वारा जिला, वाहिनियों एवं विभिन्न इकाईयों के सामग्रियों के भण्डार, उनके रख–रखाव, समुचित उपयोग, इत्यादि के उद्देश्य से निरीक्षण किये जाएंगे। भण्डार एवं अददों का भौतिक सत्यापन भी इसके द्वारा किया जाएगा।

(iv) Central Arms Store **(v)** Central Clothing Store

उपरोक्त प्रशाखाओं के लिए निम्न पदों की आवश्यकता है। पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार वर्तमान में उपलब्ध पदों को छोड़कर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की भरपाई की जाएगी –

क्र.स.	पदनाम	संख्या
1	पुलिस उपाधीक्षक	1
2	प्रशाखा पदाधिकारी	3
3	परिचारी प्रवर	2
4	सहायक	9
5	अवर निरीक्षक	3
6	सिपाही	14
7	लिपिक	3
कुल		**35**

(14) <u>अभियान (विशेष कार्य बल एवं आतंकवाद निरोधी दस्ता) प्रभाग</u> <u>(Operations (Special Task Force & Anti Terrorist Squad) Division</u>– इस प्रभाग में एक–दूसरे से स्वतंत्र दो इकाईयां है।

विशेष कार्य बल नक्सलवाद, संगठित अपराध, इत्यादि का मुकाबला करने के लिए गठित अत्यन्त ही विशेषीकृत बल है। अपने लक्ष्यों के लिए इसके द्वारा आसूचना संकलन भी किया जाता है। इसके कार्य अत्यन्त संवेदनशील हैं, जिनमें गोपनीयता अनिवार्य है। अपर

पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) के नेतृत्व में यह इकाई सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इसके प्रशासनिक एवं व्यवसायिक ढ़ांचे में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस इकाई द्वारा सभी महत्वपूर्ण निर्णय/कार्यों के संबंध में पुलिस महानिदेशक, बिहार की सहमति/अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। आतंकवादी एवं माओवादी से संबंधित कार्य, अलर्ट निर्गत तथा उग्रवादी प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास संबंधी कार्य करना इस प्रभाग के कार्यक्षेत्र में होगा। केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों एवं NIA से समन्वय इस प्रभाग के माध्यम से किया जाएगा।

Telephone Interception का कार्य इस प्रभाग द्वारा किया जाएगा। इस कार्य के पर्यवेक्षी पदाधिकारी अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) होंगे।

इसी प्रकार आतंक निरोधी दस्ता आतंकी घटनाओं को रोकने एवं उनका अनुसंधान करने के लिए गठित विशेषीकृत इकाई है। इसके कार्य अत्यन्त संवेदनशील हैं, जिसके लिए गोपनीयता परम आवश्यक है। अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (आतंक निरोधी दस्ता) के नेतृत्व में यह इकाई कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है। इसके प्रशासनिक एवं व्यवसायिक ढ़ांचे में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस इकाई द्वारा सभी महत्वपूर्ण निर्णय/कार्यों के संबंध में पुलिस महानिदेशक, बिहार की सहमति/अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। आतंकी सुरक्षा संबंधी कार्य (SOP, Crisis Plan) भी इस इकाई का प्रमुख कार्य होगा।

(8) पुलिस मुख्यालय एवं विभिन्न प्रभागों की संगठनात्मक संरचना अनुलग्नक–**"क"** के रूप में संलग्न है। पदाधिकारियों के उपलब्धता के आलोक में पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा उन्हें किसी प्रभाग के कार्यों की जिम्मेवारी दी जा सकेगी। उसके आलोक में प्रभागों के संगठनात्मक संरचना में आंशिक परिवर्तन किया जा सकेगा।

(9) राज्य सरकार के संकल्प की कंडिका– 5 का अनुपालन एक निरन्तर प्रक्रिया (Continuing Process) है। आवश्यकता पड़ने पर समिति द्वारा पूरक अनुशंसा समर्पित की जा सकती है, जिसपर पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा यथोचित आदेश पारित किया जा सकता है।

अनुलग्नक :– यथोपरि।

(गुप्तेश्वर पाण्डेय)
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

पत्र संख्या L-2 /52–05–01–2019 / **49**

बिहार पुलिस मुख्यालय
(स्थापना एवं विधि प्रभाग)

दिनांक :– 3 / 2 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
3. सभी पुलिस महानिदेशक कोटि के पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
4. सभी अपर पुलिस महानिदेशक कोटि के पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. सभी पुलिस महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
6. सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
7. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक कोटि के पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
8. सभी प्रशाखा पदाधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक / सहायक निदेशक, पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
9. आई.टी. मैनेजर को पुलिस मुख्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Amit Kumar
3/2/20

(अमित कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था),
बिहार, पटना।

प्रभागों की संगठनात्मक संरचना(Organisational Structure of Divisions)

(1) मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग(Human Resource Development and Training Division)

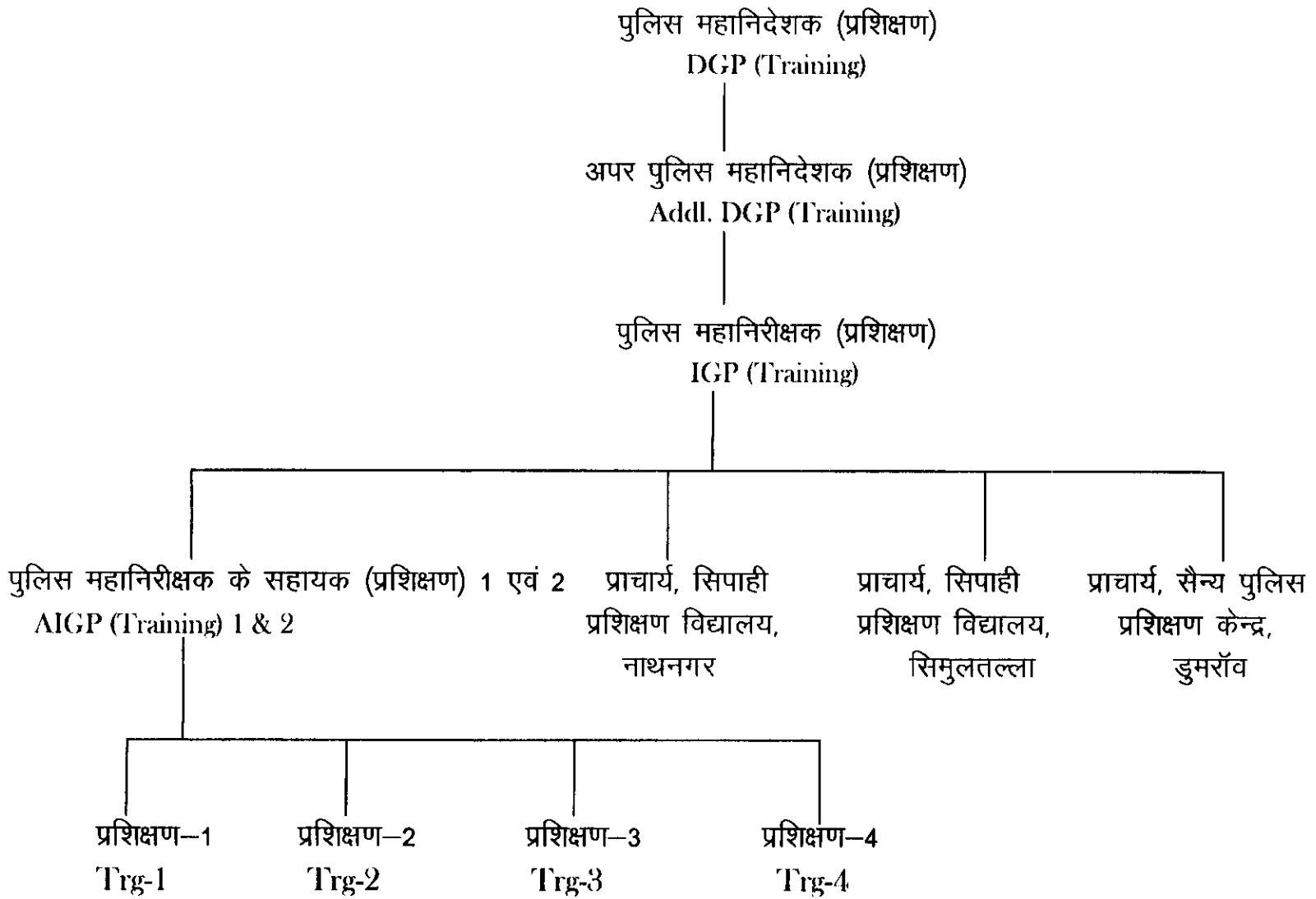

(2) विधि–व्यवस्था प्रभाग(Law & Order Division)

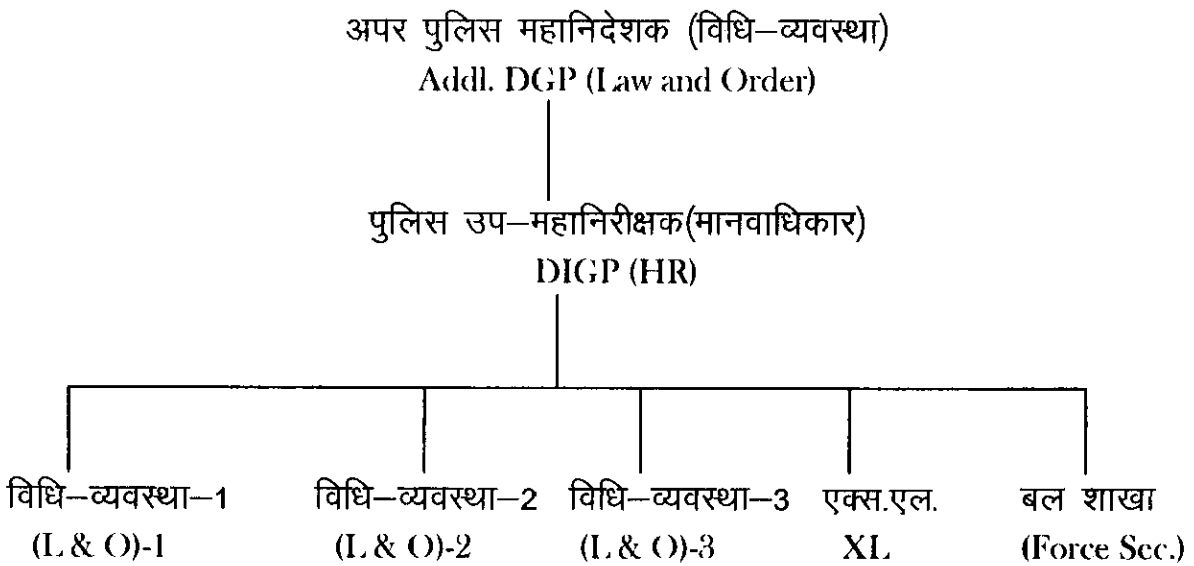

(3) स्थापना एवं विधि प्रभाग(Establishment and Legal Division)

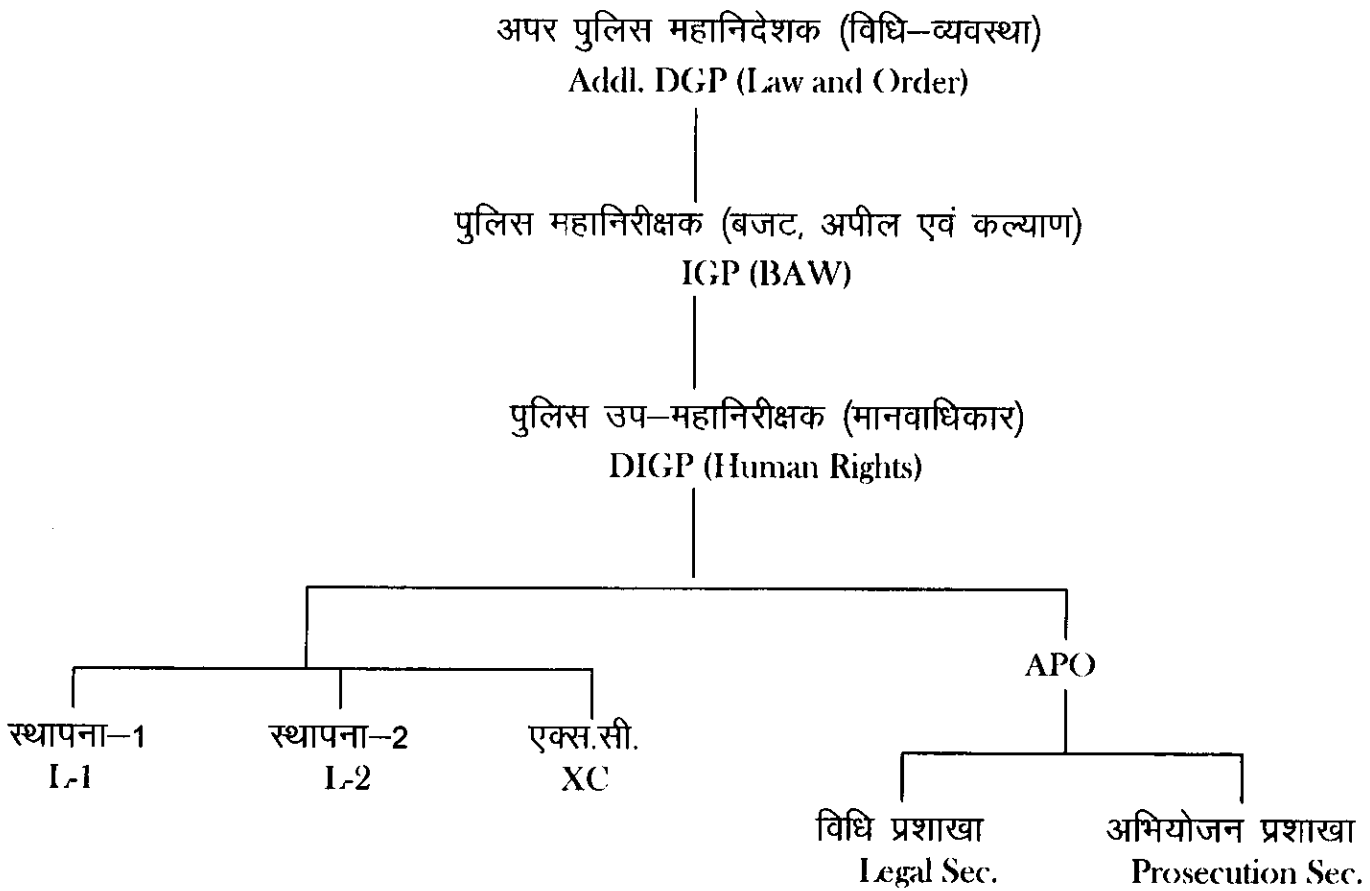

(4) कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग(Personnel and Welfare Division)

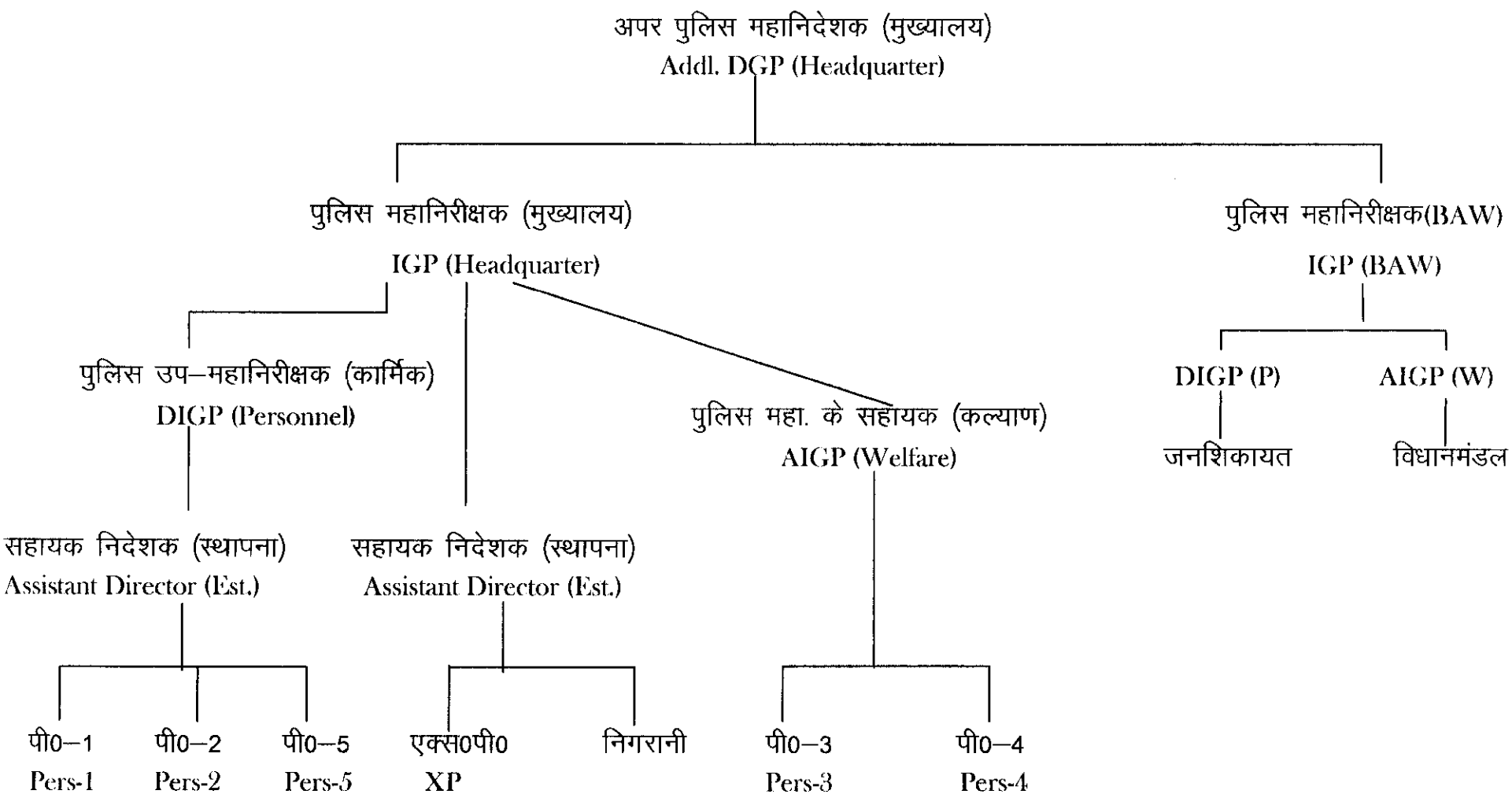

(5) मुख्यालय (पुलिस महानिदेशक कार्यालय) एवं बजट प्रभाग(Headquarter (DGP Office) and Budget Division)

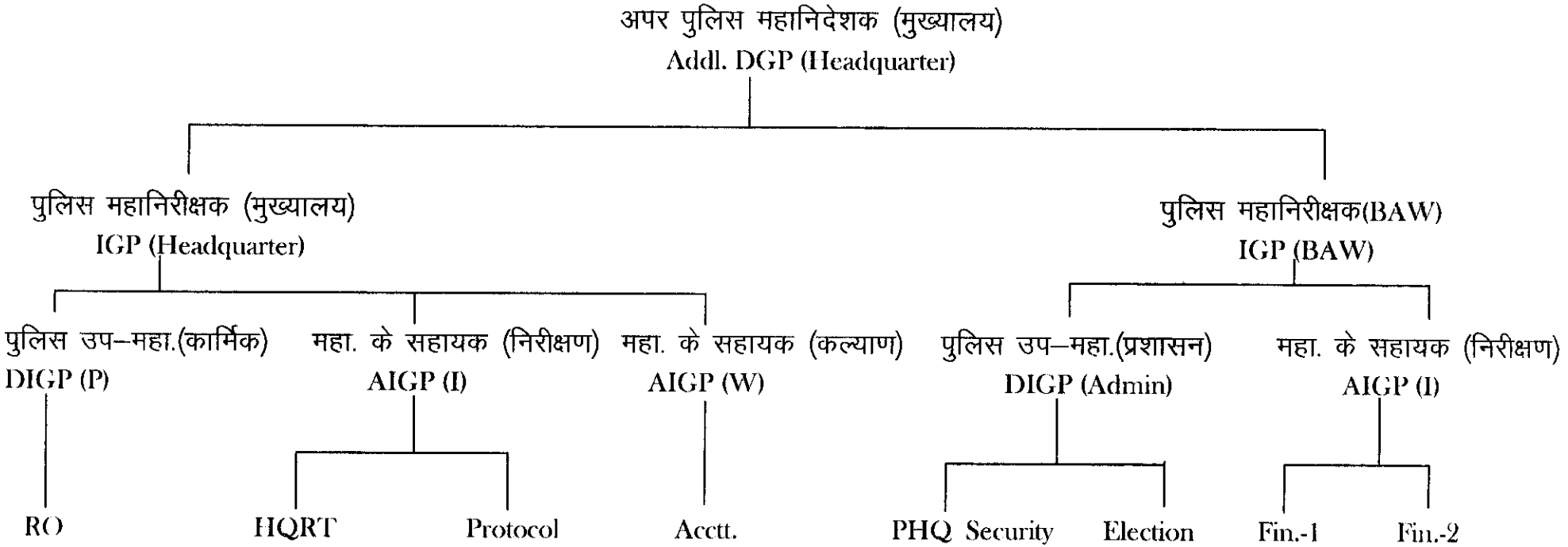

(6) आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवंप्रोविजनप्रभाग(Modernization, Crime Records and Provision Division)

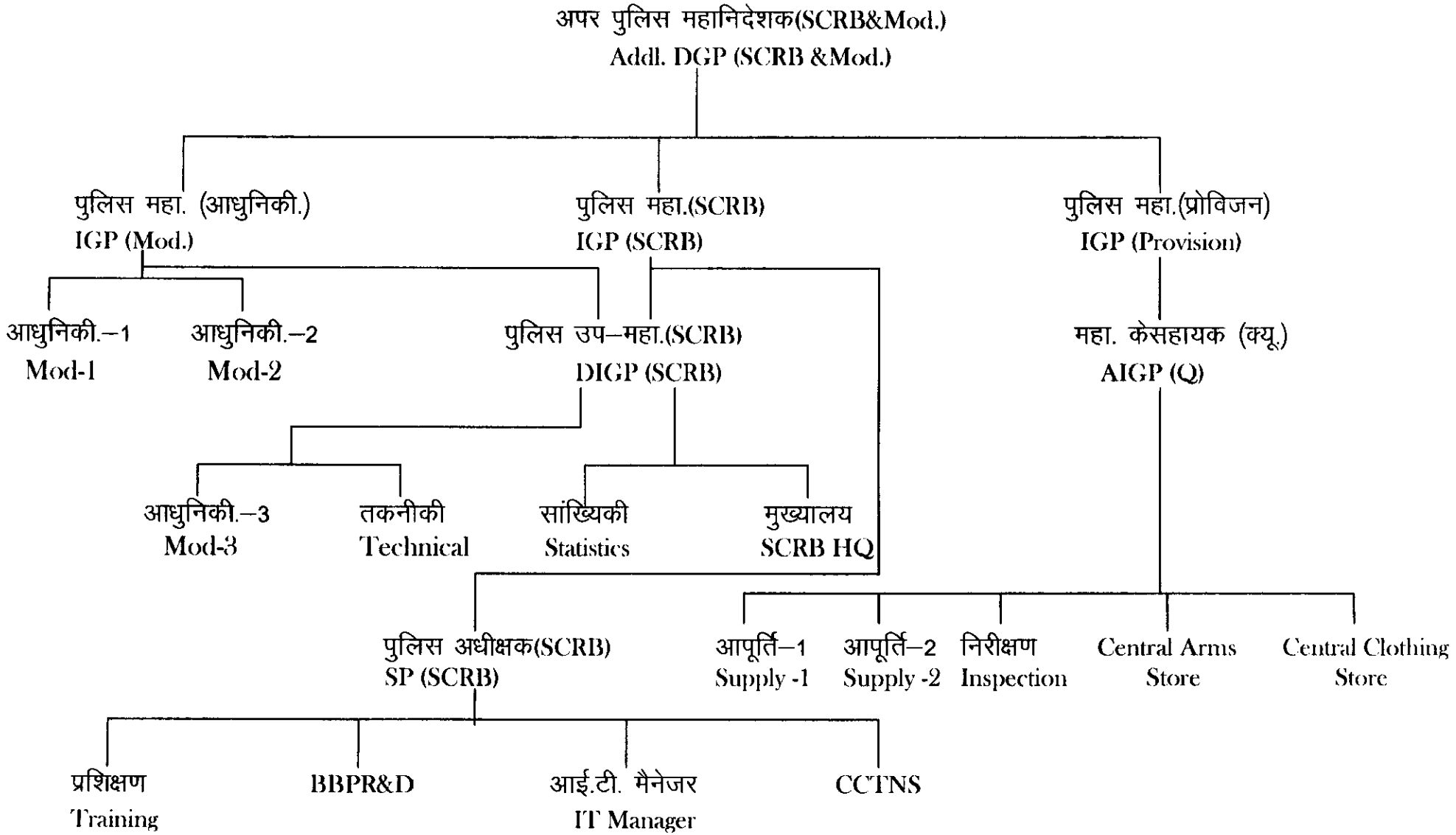

पुलिस मुख्यालय को संगठित करने के संबंध में।

1. बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का **संकल्प** पत्र संख्या – 1/ सी01–13/2019 गृ0आ0 **10087**/पटना, दिनांक **25/11/2019**

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार का **आदेश** पत्र संख्या I.-2/52–05–01–2019/**49** पटना, दिनांक **3/2/2020**

बिहार पुलिस मुख्यालय
(स्थापना एवं विधि प्रभाग)

Scanned by CamScanner

पत्र सं0–1/रधी01–13/2019 गृ0आ0 **10087**/

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

संकल्प

विषय :– पुलिस मुख्यालय को संगठित करने के संबंध में।

विगत चार दशकों में राज्य पुलिस के वरीय कोटि (पुलिस अधीक्षक एवं उनसे वरीय) के पदाधिकारियों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य के पुलिस महानिरीक्षक को पुलिस महानिदेशक के रूप में पदनामित करते हुये पुलिस महानिरीक्षक एवं अपर पुलिस महानिदेशक की दो नई कोटियाँ सृजित की गई हैं। इन दोनों कोटियों के साथ–साथ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप–महानिरीक्षक कोटियों में बड़ी संख्या में नये पदों का सृजन किया गया है। इसी दौरान पुलिस की अनेक नयी इकाईयाँ भी प्रारम्भ की गई हैं यथा– राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, आधुनिकीकरण, विशेष कार्य बल, आतंकवाद निरोधी दस्ता, आर्थिक अपराध इकाई आदि। इन इकाईयों द्वारा विशिष्ट प्रकार की जिम्मेवारियों का निर्वहन किया जाता है एवं इनमें वरीय कोटि के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाता है। इन कारणों से राज्य पुलिस मुख्यालय के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है।

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार का कार्यालय, जो राज्य पुलिस मुख्यालय के रूप में कार्य करता है, अपनी अनेक जिम्मेवारियों का संपादन इन इकाईयों के माध्यम से कराता है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि सभी इकाईयों को समाहित करते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय को विकसित किया जाए ताकि पुलिस महानिदेशक, बिहार के नेतृत्व में कुशलता पूर्वक कार्य किया जा सके। साथ ही, बहु–एजेंसी जिम्मेवारियों (Multi Agency Tasks) का संपादन समयबद्ध तरीके से हो सके। इस उद्देश्य से राज्य के सचिवालय को मानक (Template) के रूप में प्रयोग करते हुए पुलिस मुख्यालय के विभिन्न इकाईयों को संगठित कर पुलिस मुख्यालय का रूप दिया जाना आवश्यक है। इसके लिये पुलिस मुख्यालय को प्रभागों (Divisions) में संगठित किये जाने की आवश्यकता है, जो पुलिस महानिदेशक के अधीन कार्य करेंगे।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त पुलिस मुख्यालय को संगठित करने के उद्देश्य से निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं :–

(क) सभी गैर क्षेत्रीय पद (Non Field Posts) पुलिस मुख्यालय का अंग माने जायेंगे। जिला पुलिस बल एवं क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक कार्यालय के अतिरिक्त बिहार पुलिस के सभी पद इनमें शामिल होंगे।

(ख) पुलिस महानिदेशक, बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रमुख होंगे। पुलिस मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उनके अधीनस्थ कार्य करेंगे।

Scanned by CamScanner

(ग) पुलिस मुख्यालय को प्रभागों (Divisions) में संगठित किया जायेगा। प्रत्येक प्रभाग के प्रभारी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारी होंगे। उनके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी कार्यरत होंगे।

(घ) पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रभागों के बीच कार्यों का वितरण किया जायेगा। प्रभाग में कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मी समेकित रूप से उन कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेवार होंगे।

4. उक्त निर्णय के अनुरूप पुलिस मुख्यालय के विभिन्न प्रभाग एवं उसके अधीनस्थ पदाधिकारीगण निम्नरूपेण संगठित होंगे :–

Sl.	Divisions	Officers
1.	मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग (Human Resource Development and Training Division)	DG (Training) - IG (Training) - AIG (Training) - 1. Principal, CTS, Nathnagar 2. Principal, CTS, Simultalla, 3. Principal, MPTC, Dumraon
2.	बिहार पुलिस अकादमी प्रभाग (Bihar Police Academy Division)	Director, Bihar Police Academy – Deputy Director, Bihar Police Academy - Assistant Director, Bihar Police Academy
3.	सैन्य पुलिस एवं खेल–कूद प्रभाग (Military Police and Sports Division)	DG/ADG, BMP – IG, BMP- DIG, BMP- AIG, BMP - Commandants of All BMP Battalions.
4.	अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग (CID and Weaker Section Division)	(i) ADG(CID)- IG(CID)- DIG (CID)/DIG (Anti Dacoity) - SPs (CID) (ii) ADG (CID)- IG (Weaker Section)- SP(Weaker Section)
5.	आसूचना एवं सुरक्षा प्रभाग (Intelligence and Security Division)	(i) ADG (SB)- IG (SB)- DIG(SB)- SPs(SB) (ii) ADG (SB)- IG (Security) – SP (Security)- Commandant, SSG
6.	मद्यनिषेध प्रभाग (Prohibition Division)	ADG/IG (Prohibition)- SP (Prohibition)
7.	आर्थिक एवं साईबर अपराध प्रभाग (Economic and Cyber Crimes Division)	ADG/IG (EOU)-DIG (EOU)- SPs (EOU)
8.	संचार प्रभाग (Communication Division)	ADG (Technical Services and Wireless)- IG (Technical Services)- SP (Wireless)
9.	विधि–व्यवस्था प्रभाग (Law & Order Division)	ADG (Law and Order)- IG(Traffic and L&O)- DIG(Traffic and L&O)- AIG (Inspection)
10.	स्थापना एवं विधि प्रभाग (Establishment and Legal Division)	ADG (L&O) - IG(Headquarter) - DIG (Human Rights)- AIG(Q)- APO
11.	कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग (Personnel and Welfare Division)	ADG (Headquarter) - IG(Headquarter) /IG (Budget, Appeal & Welfare) - DIG(Personnel)- AIG(Welfare)
12.	मुख्यालय (पुलिस महानिदेशक कार्यालय) एवं बजट प्रभाग (Headquarter (DGP Office) and Budget Division)	ADG (Headquarter) - IG(Headquarter) /IG (Budget, Appeal & Welfare) - DIG(Personnel)- AIG(Q) - Assistant Director (Est.)- IT Manager
13.	आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवं प्रोविजन प्रभाग (Modernization, Crime Records and Provision Division)	(i) ADG (Mod. & SCRB)- IG(Mod.) (ii) ADG (Mod. & SCRB)- IG (SCRB)- DIG(SCRB)- SP (SCRB) (iii) ADG (Mod. & SCRB)- IG (Provision)- AIG (Q)
14.	अभियान (विशेष कार्य बल एवं आतंकवाद निरोधी दस्ता) प्रभाग Operations (Special Task Force & Anti Terrorist Squad) Division	(i) IG (Operations)-DIG (Special Task Force) - SP(Special Task Force) (ii) IG(Anti Terrorist Squad) - DIG (Anti Terrorist Squad)- SP (Anti Terrorist Squad)

Scanned by CamScanner

5. पुलिस मुख्यालय के कुशल संचालन एवं सभी उत्तरदायित्वों के सुचारू निर्वहन हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन करेंगे, जो प्रभागों में विभिन्न स्तरों पर कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्धारण तथा किस प्रभाग में कौन–कौन से प्रशाखा रहेंगे इसकी अनुशंसा करेगी। उक्त अनुशंसा के आलोक में प्रभागों में विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की शक्ति क्या होगी, किस विषय की कौन सी संचिका किस स्तर पर निष्पादित होगी एवं कौन–कौन प्रशाखा किसी प्रभाग विशेष में रहेंगे, इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, बिहार एक स्पष्ट आदेश निर्गत करेंगे। त्रिसदस्यीय समिति की संरचना निम्नवत होगी :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) – अध्यक्ष,
2. अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) – सदस्य,
3. पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय) – सदस्य।

यह प्रक्रिया संकल्प निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूरी कर ली जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/सी01–13/2019, गृ0आ0 10087/पटना, दिनांक 25 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/प्रभारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/सी01–13/2019, गृ0आ0 10087/पटना, दिनांक 25 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/सी01–13/2019, गृ0आ0 10087/पटना, दिनांक 25 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि :– अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी महानिदेशक/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, क्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस एवं गृह रक्षावाहिनी/आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना (website: www.home.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु)/गृह विभाग के सभी पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक...649.. / L-2
52-05-01-2019/L-2
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

दिनांक :— 26 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि :—

1. पुलिस महानिदेशक कोटि के सभी पदाधिकारी, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक कोटि के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिरीक्षक कोटि के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ।
4. पुलिस उप–महानिरीक्षक कोटि के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ।
5. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा कोटि के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ।

Amit Kumar 26/11/19
अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था),
बिहार, पटना।

Scanned by CamScanner